न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा

पीठासीन अधिकारी :– अमिता बिश्नोई आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्या :– 59/2018

1. बख्तावरी पत्नी मनफूल जाति जाट साकिन मानकथेडी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ. (फौत)
1/1 विद्या देवी पुत्री मनफूल, बख्तावरी साकिन मनीआली तहसील सादुलशहर जिला श्री गंगानगर ।
1/2. विमला देवी पुत्री मनफूल, बख्तावरी साकिन मनीआली तहसील सादुलशहर जिला श्री गंगानगर ।
1/3. सरोज पुत्री मनफूल, बख्तावरी साकिन 18 पी तहसील अनुपगढ, जिला श्री गंगानगर।
2. मांगीलाल | पिसरान मलफुल | जाति जाट साकिन मानकथेडी तहसील पीलीबंगा जिला
3. श्रवण कुमार
4. कालू राम
5. जगदीश पुत्र रेडाराम जाति जाट साकिन मानकथेडी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ.

––प्रार्थीगण

–:बनाम:–

1. मामराज पुत्र रामचन्द्र जाति जाट साकिन 2 एसपीएस मम्मड. खेडा तहसील सादुलशहर जिला श्री गंगानगर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) पीलीबंगा।

– अप्रार्थीगण

–:: प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 रा.का.अधि. बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा ::–

–:: उपस्थित अभिभाषकगण ::–

1. श्री जगजीत सिंह रमाणा —— प्रार्थीगण
2. श्री कुलदीप सिंह धालीवाला —— अप्रार्थी सं. 1
3. राजपैरोकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) पीलीबंगा। —— अप्रार्थी सं. 2

–:: निर्णय :–

दिनांकः– 16/08/24

प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण की ओर से अप्रार्थीगण के विरूद्ध श्री जगजीत सिंह रमाणा अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया है संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार से है –

यह कि उक्त अनवान का वाद पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत हो चुका है जिसमें प्रार्थीगण को कामयाबी की पूर्ण सम्भावना है।

प्रार्थीगण व अप्रार्थी सं.1 व अन्य सह खातेदारान के नाम चक 4 बीआरपी (भाखड़ा) की जमाबंदी सं. 2071 से 2074 अनुसार निम्नाकिंत कृषि भूमि दर्ज है खाता सं. 58/66 प.नं.10/361 किला नं. 16 ता 19,20/.228, .025,21/.228, .025, 22 ता 25 की 2.530 हैक प.न. 11/361 किला न. 20/2/.240, 21 की 0.493 हैक प.न. 10/362 1/.228,.025, 2 ता 8, 9/1/.0202 की 2.226 हैक. कुल 5.249 हैक. नाली प्रथम गै.मु. रास्ता चक 4 बीआरपी खाता संख्या 59/67 प.न. 11/361 किला न 24, 25/.228,.025 की 0. 506 हैक. प.न. 11/362 1 ता 4, 5/.228,.025, 6/.228,.025, 7 ता 14, 15/.228,.025, 16/.228,.025, 17 ता 20, 21/.202,.051, 22/.202,.051, 23/.202,.051, 24/.202,.051, 25/.177,.051,.025 की 6.325 हैक. नाली प्रथम गै.मु.खाला रास्ता प.न. 10/363 किला न 15/2/.152 10/363 की 0.152 हैक. प.न. 11/363 1 ता 3, 8 ता 13 की 2.277 हैक. कुल 9.260 हैक. नाली प्रथम गैर मुमकिन खाला रास्ता।

प्रार्थना पत्र की दफा 2 में वर्णित चक 4 बीआरपी के खाता सं. 58/66 में वर्णित कुल 5.249 हैक. कृषि भूमि में मिन प्रार्थीगण सं. 1 ता 4 का 0.841 हैक. व प्रार्थी [illegible] 0.342 हैक. हिस्सा दर्ज रिकार्ड है इसी प्रकार अप्रार्थी सं. 1 का 0.072 हैक. दर्ज रिकार्ड है । [illegible] प्रतिवादी सं. 2 धन्नाराम का 0.7125 हैक. दर्ज, प्रतिवादी सं. 3 विधा देवी का 0.7125 हैक. हिस्सा [illegible] पत्नी का 0.506 हैक. व प्रतिवादीगण सं. 4 ता 10 का सम्मिलित रूप से 1.771 हैक. [illegible]., प्रतिवादीगण सं. 11 ता [illegible] 0. 369 हैक, में 1/3 हिस्सा में ब.हि.ब, प्रतिवादीगण सं. 16 ता 18 [illegible] 0.369 हैक. में 1/3 हिस्सा [illegible].ब., प्रतिवादी सं. 19 का 0.369 हैक. में 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी सं.20 का 0.123 हैक, दर्ज रिकार्ड है। इसी प्रकार चक 4 बीआरपी के खाता सं. 59/67 की 9.260 हैक. कृषि भूमि में मिन प्रार्थीगण सं. 1 ता 4 का 2.

Signature Not Verified
Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2024.08.20 10:22:29 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एव उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

627 हैक. दर्ज रिकार्ड है व इसी प्रकार अप्रार्थी स. 1 का 0.291 हैक. वाद पत्र के प्रतिवादी सं. 2 धन्नाराम का 2.918 हैक. प्रतिवादी सं.क. 3 विधा देवी का 2.918 हैक. हिस्सा दर्ज रिकार्ड है। प्रतिवादीगण सं. 11 ता 15 का 0.379 हैक. में 1/3 हिस्सा में ब.हि.ब. प्रतिवादीगण सं. 16 ता 18 का 0.379 हैक. में 1/3 हिस्सा में ब.हि.ब. प्रतिवादी स. 19 का 0.379 हैक. में 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी सं.20 का 0.127 है. दर्ज रिकार्ड है। सुल्तान फौत हो चुका है जिनके वारीस वाद पत्र में अकिंत प्रतिवादीगा सं. 4 ता 10 है व तेजा भी फौत हो चुका है जिसके वारीस प्रतिवादीगण सं. 11 ता 15 है। जो पूछताछ के आधार पर प्रतिवादीगण बनाये गये है। वाद पत्र के प्रतिवादीगण जो प्रार्थना पत्र में पक्षकार नही बनाये गये है उनके खिलाफ अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र में कोई अनुतोष नही चाहा गया है। इस कारण उन्हे प्रार्थना पत्र मे पक्षकार नही बनाया गया है।

यह कि प्रार्थीगण का दोनो खातों की कृषि भूमि जो प्रार्थना पत्र की दफा 2 मे दर्शायी है में अपने हक व हिस्सा पर कब्जा काश्त है व उसी हक हिस्सा अनुसार प्रार्थीगण भूमि की काश्त करते आ रहे है। प्रार्थीगण का कब्जा काश्त निम्न प्रकार से है

प्रार्थीगण सं. 1 ता 4 का कब्जा काश्त निम्न प्रकार से है:—

चक नं. 4 बीआरपी (भाखड़ा) खाता सं. 58/66 के प.नं. 10/362 (52) किला नं. 1/228, 025, 2 ता 4, 6 ता 8, 9/1/202 की 1.973 हैक. नाली प्रथम मय गैर मुमकिन रास्ता खातेदारी, खाता सं. 59/67 के प.नं. 11/363 (58) किला नं. 1, 2/.165, 9/.165, 10, 11, 121.165 की 1.254 हैक. नाली प्रथम इस प्रकार कुल 3.227 हैक. नाली प्रथम मय गैर मुमकिन रास्ता खातेदारी ।

प्रार्थी सं. 5 का कब्जा काश्त निम्न प्रकार से है:—

चक नं. 4 बीआरपी (भाखड़ा) खाता सं. 58/66 के प.नं. 10/362 (52) किला नं. 5 में 7 बिस्वा यानी 0.089 हैक. नाली प्रथम खातेदारी, प.नं. 10/361 किला नं. 21/.228,025 की 0.253 हैक, नाली प्रथम मय गैर मुमकिन रास्ता कुल 0.342 हैक. नाली प्रथम मय गैर मुमकिन रास्ता खातेदारी।

अप्रार्थी सं. 1 का राजस्व रिकार्ड में हिस्सा दर्ज रिकार्ड है। लेकिन कृषि भूमि सांझा खाता की होने के कारण आये दिन सह खातेदार के साथ लड़ाई झगड़ा करते है व कृषि भूमि सांझा खाता की होने के कारण कब्जा काश्त के बीघों में व्यवधान पैदा करते है, फसल को नुकसान पहुंचाने की चेष्टा करते है। प्रार्थीगण नें अपने कब्जा काश्त की कृषि भूमि को समतल योग्य बनाया है जिस पर काफी खर्च हुआ है। कृषि के सिचांई पानी हेतू सुविधा पैदा कर रखी है लेकिन अप्रार्थी सं. 1 आये दिन कब्जा काश्त में दखलंदाजी पैदा करता है व धमकियां देता है कि हम सांझा खाता की भूमि को अजनबी व्यक्तियो को बेचान कर देगे जिसमें कब्जा काश्त में आपके बीघे दर्शायेगें। अप्रार्थी सं. 1 बेहद ही झगड़ालू किस्म का व्यक्ति है। यदि वह प्रार्थीगण के कब्जा काश्त की कृषि भूमि में व्यवधान व रूकावट पैदा करता है तो प्रार्थीगण को फसल उगाना व उसकी पैदावार करना मुश्किल हो जायेगा, खाता अभी सांझा है। इस कारण अप्रार्थी सं. 1 को जब तक खाता विभाजन नही हो जाता कृषि भूमि का वे बेचान न करे सके इस कार्य से रोका जाना नितान्त आवश्यक है। यदि अप्रार्थी सं. 1 सांझा खाता की कृषि भूमि का बिना खाता विभाजन करवाये बेचान कर देता है तो प्रार्थीगण को अपूर्णीय व अपरिमेय क्षति होगी। प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का सन्तुलन प्रार्थीगण के पक्ष में है। इन अत्यावश्क व तात्कालिक परिस्थितियों के दृष्टिगत प्रार्थीगण विरूद्ध अप्रार्थी सं. 1 अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है कि अप्रार्थी सं. 1 प्रार्थना पत्र की दफा 2 मे वर्णित कृषि भूमि को किसी अन्य व्यक्ति को रहन बैय व अन्य प्रकार से मुन्तकिल न करे, मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि अस्थाई निषेधाज्ञा ताफैसला वाद विरूद्ध अप्रार्थीगण इस अमर की जारी की जावे कि अप्रार्थी सं. 1 प्रार्थना पत्र की दफा 2 में वर्णित कृषि भूमि को रहन बैय व अन्य प्रकार से मुन्तकिल न करे व मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

प्रार्थना पत्र मार्फत अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से श्री [illegible] अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किया जिये जाने पर सरिसता रिपोर्ट बाद अधिवक्ता प्रार्थी की बहस सुनी गई एवं बहस पर मनन व प्रार्थना पत्र अवलोकन बाद प्रश्नगत रकबा बर अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई एवं अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2024.08.20 10:22:29 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

अप्रार्थीसंख्या 1 की ओर से श्री कुलदीप सिंह धालीवाल अधिवक्ता द्वारा वकालतनामा व जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जवाब प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षिप्त में है कि प्रार्थना पत्र की चरण सं. 1 मे वर्णित कथन उपरोक्त अनवान का वाद प्रस्तुत होने की हद तक स्वीकार है। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत वाद मे प्रार्थीगण की सफलता का कोई आधार नही है।

प्रार्थना पत्र की चरण सं. 2 मे वर्णित कथन चक 4 बी आर पी (भाखडा) के खाता सं. 58/66 मे दर्ज 5.249 हैक्टर भूमि व खाता सं. 59/67 मे 9.260 हैक्टर भूमि सयुक्त खाते की होने के कथन सत्य होने से स्वीकार है। प्रार्थना पत्र की चरण सं. 3 मे वर्णित कथन कि चक 4 बी आर पी के खाता सं. 58/66 की कुल 5.249 हैक्टर भूमि मे मुझ अप्रार्थी सं. 1 का 0.072 हैक्टर हिस्सा व चक 4 बी आर पी के खाता सं. 59/67 की 9.260 हैक्टर भूमि मे मुझ अप्रार्थी सं. 1 का 0.291 हैक्टर हिस्सा दर्ज होने के कथन सत्य होने से स्वीकार है।

प्रार्थना पत्र की चरण सं. 4 मे प्रार्थीगण ने जिस प्रकार कथन वर्णित किये है असत्य होने से अस्वीकार है। प्रार्थी सं. 1 ता 4 का चक 4 बी आर पी के खाता सं. 58/66 के पं. नं. 10/362(52) के किला नं. 1, 2 ता 4, 6 ता 8, 9/1/202 की 1.973 हैक्टर भूमि पर कब्जा काश्त होना सत्य होने से स्वीकार है। प्रार्थीगण का यह कथन कि प्रार्थी सं. 1 ता 4 का चक 4 बी आर पी के खाता सं. 59/67 के प. न. 11/363 (58) के किला नं. 1,2/165, 9/0.165,10,11, 12/0.165 की 1.265 हैक्टर भूमि पर कब्जा काश्त होने के कथन असत्य होने से अस्वीकार है अप्रार्थी सं. 1 का उक्त खाता के प. न. 11/363 के किला न. 1/2/0.182, 2/1/0.235, 9/1/0.235, 10/2/0.183, 11/2/0.183. 12/1/0.236, की 1.254 हैक्टर भूमि पर कब्जा काश्त है। प्रार्थी सं. 5 का चक 4 बी आर पी के खाता सं. 58/66 के प. न. 10/362(52) के किला न. 5/0.089, व पं. 10/261(37) के किला न. 21 की कुल 0.342 हैक्टर भूमि पर कब्जा काश्त होने के कथन सत्य होने से स्वीकार है। मुझ अप्रार्थी सं. 1 द्वारा प्रश्नगत भूमि जरिये बैयनामा दिनाक 01.07.न.2016 को प्रश्नगत भूमि के सहखातेदार इमीलाल पुत्र कलावती पत्नी बृजलाल,कृष्णा–कमला पुत्रीया कलावती पत्नी बृजलाल जाति जाट निवासी मम्मोडा से उनके नाम दर्ज 0.363 हैक्टर भूमि खरीद की गई थी। दिनांक 01.07.2016 को विक्रेता इमीलाल आदि का प्रश्नगत भूमि चक 4 बी आर पी के खाता सं. 59/67 के प. न. 10/263 के किला न. 15/2/0.152, व प. न. 11/363 के किला न. 1/1/0.071, 10/1/0.070, 11/1/0.070 की कुल 0.363 हैक्टर भूमि पर कब्जा काश्त होने से विक्रेता द्वारा अपने कब्जा काश्त की उक्त भूमि का ही बरवक्त बैयनामा दिनांक 01.07.2016 को मुझ अप्रार्थी सं. 1 को कब्जा सुपूर्द किया गया था जिस पर मिन अप्रार्थी दिनांक 13.04.2019 तक काबिज काश्त रहा। वैशाखी 2019 से मुझ अप्रार्थी के कब्जा काश्त की भूमि पर प्रार्थी सं. 1 ता 4 ने अवैध रूप से फसल काश्त करके मुझ अप्रार्थी सं. 1 के कब्जा काश्त की भूमि पर अवैध रूप से काबिज हो गये।

प्रार्थना पत्र की चरण सं. 5 मे जिस प्रकार कथन दर्ज किये गये है असत्य होने से अस्वीकार है। प्रार्थीगण झगडालू पृवति के व्यक्ति है अप्रार्थी सं. 1 लघु कृषक है जिसके पास दोनो खातो मे कुल 0.363 हैक्टर भूमि है जिसको प्रार्थीगण शान्ति पूर्वक काश्त करने नही देना चाहते इसी दूर्भावनापूर्वक आशय से प्रार्थीगण मुझ अप्रार्थी सं. 1 के कब्जा काश्त की भूमि पर अवैधरूप से काश्त कर ली तथा मुझ अप्रार्थी को अपने हक व हिस्से की भूमि को काश्त करने के आशय से वचिंत कर दिया। प्रार्थीगण ने अपनी भूमि बैक आफॅ इण्डिया शाखा बडोपल व श्रीगंगानगर क्षेत्रीय ग्रामिण बैक सूरतगढ के समक्ष रहन रख कर ऋण प्राप्त किया हुआ है। अप्रार्थी सं. 1 अपने हिस्से की भूमि पर ऋण प्राप्त करना चाहता था जिसकी जानकारी प्रार्थीगण को होने पर प्रार्थीगण दूर्भावनापूर्वक आशय से मुझ अप्रार्थी सं. 1 के विरूद्ध अपार्थी सं. 1 को अपने हक व हिस्से की भूमि को किसी प्रकार से अन्तरण नही करने व रिकार्ड आदि की यथस्थिति बनायें रखने की अस्थायी निषेधाज्ञा चाही गई है। प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत मूल वाद ही केवल मात्र विभाजन व स्थायी व्यादेश हेतू प्रस्तुत किया गया है जिसमे मुझ अप्रार्थी [illegible] भूमि के स्वामीत्व सम्बन्धी अधिकारो को चुनौति नही दी गई है। अप्रार्थी सं. 1 प्रार्थना [illegible] सं. 2 मे वर्णित भूमि का सयुक्त खातेदार है जिसको अपने हिस्से की भूमि [illegible] करने का पूर्ण अधिकार है। प्रार्थीगण जो कि मुझ अप्रार्थी सं. 1 के सहखातेदार है जिनको मुझ [illegible] सं. 1 के विरूद्ध प्रश्नगत भूमि के उपयोग व उपभोग के सम्बन्ध मे किसी प्रकार का कानूनन व्यादेश प्राप्त करने का अधिकार नही है। प्रार्थीगण के पक्ष मे किसी भी रूप मे प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा [illegible] सन्तुलन व अपूर्णिय क्षति के बिन्दू

Signature Not Verified
Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2024.08.20 10:22:29 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, पीलीबंगा

नही है। इसके विपरीत अप्रार्थी सं. 1 के विरूद्ध किसी प्रकार की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी होने से अप्रार्थी सं. 1 अपनी सयुक्त खाते की भूमि का उपयोग व उपभोग करने से वंचित हो जावेगा जिससे प्रार्थीगण की अपेक्षा मुझ अप्रार्थी सं. 1 को अत्यधिक असुविधा व अपूर्णिय क्षति कारित होगी। ऐसी स्थिति मे प्रार्थीगण मुझ अप्रार्थी सं. 1 के विरूद्ध किसी भी प्रकार की अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी नही है। अतः जबाव प्रार्थना पत्र मय शपथपत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र महज मुझ अप्रार्थी सं. 1 को तंग व परेशान करने के दुर्भावनापूर्वक आशय से प्रस्तुत किया गया होने से विशेष परिव्यय सहित खारिज किये जाने की कृपा करे।

अप्रार्थी संख्या 2 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पीलीबंगा से जवाब स्टेट प्राप्त हुआ है मुताबिक रिपोर्ट रास्ता खाला की सुविधा एवं पैत्रक भूमि के अलावा भूमि हो तो नियमानुसार राज्य हित को ध्यान में रखते हुए वाद पत्र का निस्तारण किया जाता है तो स्टेट को कोई आपत्ति नहीं है।

अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस सुनी गई अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया अप्रार्थी सं. 1 सांझा खाता की कृषि भूमि का बिना खाता विभाजन करवाये बेचान कर देता है तो प्रार्थीगण को अपूर्णीय व अपरिमेय क्षति होगी अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये गए जिनमें आरआरडी 2004 पृष्ठ संख्या 494, आरआरडी 1996 पृष्ठ संख्या 148, आरआरटी 2009 पृष्ठ संख्या 141। अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया गया। बहस उभय पक्ष पर भलीभाति मनन किया गया। पत्रावली व पेश प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र का गहराई से अध्ययन किया गया। यह न्यायालय स्थगनादेश जारी किए जाने पर इसलिए सहमत नहीं होता है क्योंकि राजस्थान काशतकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 अस्थाई निषेधाज्ञा खातेदार के हिस्से तक संयुक्त संपति के सभी अंशाधारी कब्जे में होना माने जाते है और प्रार्थीगण द्वारा भी अप्रार्थी संख्या 1 निर्बाध रूप से रिकोर्डेड खातेदार है। उसके हिस्से की संपति को बेचान करने के हकदार भी है उनको अपने हिस्से की भूमि को विक्रय/अन्तरण/रहन न करने से पांबद नहीं किया जा सकता है। (आरआरटी 2009 (1) पेज (25) किसी भी रिकोर्डेड खातेदार के खिलाफ बिना मूल दावा अंतिम डिक्री तक अस्थाई व्यादेश जारी कर अनवरत् किया जाना उचित व संगत प्रतीत नहीं होता है। राजस्थान काशतकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 में उपलब्ध उपचार/अनुतोश में भूमि का दुर्व्ययन (wasted) हानि (dameged) और अंतरित किए जाने (lienated) जैसी स्थिति हस्तगत प्रकरण में प्रतीत या उजागर भी नहीं होती है इसलिए अस्थाई व्यादेशा जारी कर अनवरत् किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है, लिहाजा उक्त प्रार्थना पत्र को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है। पत्रावली नबंर से कम की जाकर बाद तरतीब व तकमील के दाखिल दफ्तर की जाती है। संलग्न मूल वाद रहे।

यह आदेश आज दिनांक 16/08/24 को सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली नंबर से कम की जाकर संलग्न मूल वाद की जाती है।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

(अमिता बिश्नोई आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
पीलीबंगा

Signature Not Verified

Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2024.08.20 10:22:29 IST
Reason: SelfAttested